फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना राजेपुर

दिनांक - 01.05.2026

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 82/2026 धारा 137(2)/87/127(2)/61(2)/ 142/143 से सम्बंधित 02 अभियुक्त एवं 02 अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 82/2026 धारा 137(2)/87/127(2)/61(2)142/143 बीएनएस से सम्बंधित 02 अभियुक्तों 01. हुकुम सिंह पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम चित्रकूट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ 02. अचल पुत्र रामरतन निवासी पुरैना थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर एवं 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

01. हुकुम सिंह पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम चित्रकूट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

02. अचल पुत्र रामरतन निवासी पुरैना थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

03. 02 अभियुक्ता

घटना का विवरण- वादिनी जनपद गोरखपुर में रहकर मजदूरी का कार्य करती है, वहाँ पर वादिनी की मुलाकात अभियुक्त/अभियुक्तों से हुई जो वादिनी को बहला फुसलाकर दिनांक 30.05.2026 को थानाक्षेत्र राजेपुर में हनुमान मंदिर ले गये और वहाँ पर वादिनी की शादी की बात हुकुम सिंह पुत्र बीरपाल निवासी चित्रकूट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ के साथ करते हुए पैसों के लेन-देन की बात करने लगे तब वादिनी को शक हुआ कि उपरोक्त लोग वादिनी की शादी जबरन कराना चाहते है। वादिनी द्वारा शादी का विरोध करने पर अभियुक्त/अभियुक्ता द्वारा वादिनी को बैठा लिया और पैसों के लेन-देन को लेकर आपस में झगड़ा करने लगे, जहां से मौके पर वादिनी थाना राजेपुर पहुँची तथा वादिनी की तहरीर के आधार मु0अ0सं0 137(2)/87/127(2)/61(2)142/143 बीएनएस बनाम हुकुम सिंह पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम चित्रकूट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ आदि 04 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अभियुक्त 01. हुकुम सिंह पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम चित्रकूट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ 02. अचल पुत्र रामरतन नि पुरैना थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर तथा 02 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त हुकुम उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी मृत्यु हो गयी है। दूसरी शादी और थोडे पैसों के लालच में मैनें अचल एवं दो महिलाओं के साथ मिलकर शादी की बात कर ली थी इन लोगो द्वारा मुझसे कुछ खर्चा करने के लिए कहा तो मैनें 60,000/- रुपये में सोदा कर लिया था। साहब मुझसे गलती हो गयी मुझे माँफ कर दो।

अभियुक्त हुकुम सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 82/2026 धारा 137(2)/87/127(2)/61(2)142/143 बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त अचल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 82/2026 धारा 137(2)/87/127(2)/61(2)142/143 बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष श्री नागेन्द्र सिंह
02. उ0नि0 श्री आशुतोष सिंह
03. रि0का0 शिवम वर्मा
04. रि0का0 आसिव
05. म0रि0का0 सावित्री
06. म0रि0का0 क्षमा गौड़

मीडिया सेल फतेहगढ़।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

फतेहगढ़ पुलिस

* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण *

#OperationConviction

थाना- राजेपुर

दिनांक-02.06.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान व " मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण " के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मुकुल पाण्डेय उर्फ राहुल पुत्र सुभाष पाण्डेय निवासी जिठौली थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0स0-67/2016 वाद संख्या 27/2017 धारा 363/366/376/506 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***मा0 न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 02.06.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 05वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 20000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

एडीजीसी - श्री तेज सिंह

एडीजीसी - श्री विकास कटियार

को0 मो0 म0 का0 प्राची

पैरोकार – का0 सुमित राठी

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना जहानगंज

#Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0
उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं
उत्तर प्रदेश पुलिस
1090
Women Power Line
थाना कम्पिल
1090
181
1076
112
1098
102
108
महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र

मिशन शक्ति 5.0

थाना कमालगंज

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना कादरीगेट

किशोरी से दुष्कर्म में 20 वर्ष का कारावास

अदालत से

संवाद न्यूज एजेंसी

शाहजहांपुर। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी रघुनाथ फर्रुखाबाद जिले के कंपिल थाना क्षेत्र के भैंसरी गांव का रहने वाला है।

कलान थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 14 सितंबर 2018 को उसकी 15 वर्षीय बेटी खेत पर गई थी।

तभी रघुनाथ व उसका साथी दो बाइकों से आए और बेटी को बहलाकर ले जाने लगे। गांव के लोगों ने शोर मचाया तो वे एक बाइक छोड़कर दूसरी बाइक से बेटी को लेकर चले गए।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद रघुनाथ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्णलीला यादव ने रघुनाथ को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

किशोरी को तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले दोषी को दो वर्ष की सजा

अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

फर्रुखाबाद। किशोरी को परेशान करने और उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी देने के नौ वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने दोषी संजीव कुमार को दो वर्ष के साधारण कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि मोहल्ले का संजीव कुमार उर्फ इल्ली उनकी 17 वर्षीय पुत्री को परेशान करता है। बाजार जाते समय उसने रास्ता रोककर धमकी दी थी कि यदि बात नहीं मानी, तो वह किशोरी के चेहरे पर तेजाब फेंक देगा। विरोध करने पर उसने पुलिस को भी अपनी जेब में रखने की बात कही थी।

न्यायालय ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और सिद्ध अपराध की गंभीरता को देखते हुए संजीव कुमार को धमकी देने के आरोप में दोषी करार दिया। (संवाद)

किशोरी के अपहरण में पांच वर्ष की कैद

फर्रुखाबाद। किशोरी का अपहरण करने के 10 वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने दोषी को पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

थाना राजेपुर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले ग्रामीण ने 11 अप्रैल 2016 को थाने में तहरीर दी। कहा कि 8 अप्रैल 2016 को रात करीब 8 बजे उसकी 17 वर्षीय नातिन को थाना क्षेत्र के गांव जिठौली निवासी मुकुल पांडेय उर्फ राहुल अपने साथी और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर धमकी देते हुए बोलेरो से ले गया। पुलिस ने अपहरण, धमकी देने और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का बारीकी से अवलोकन किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी मुकुल पांडेय को अपहरण के मामले में 29 मई को दोषी करार दिया था। (संवाद)